1/2011 गेन्दी देवी — मुरलीधर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.6.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । विद्वान वकील अपीलान्ट/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-3 व रेस्पोडेन्ट संख्या-10 का देहान्त हो चुका । जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0 -10 सोनी के विरुद्ध अपीलान्ट कोई सहायता नही चाहता इस कारण अपील से उसका नाम हजफ किया जावे ।तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-3 श्योप्रसाद के वारिस 1- रोहिताश पुत्र 2- महेन्द्र पुत्र 3- संगीता पुत्री 4- प्रेम पुत्री, 5- भंवरी पत्नी वारिस है जिनको मृतक श्योप्रसाद के स्थान पर अपील मे बतौर पक्षकार बनाया जावे । रेस्पोडेन्ट संख्या-3 व 10 की मृत्यु की सूचना उनके नोटिस पर आने पर जानकारी हुई जिससे जानकारी के अन्दर मियाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । तथा प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जावे तथा अपील अबेटमेन्ट होने की	

Web Copy - Not Official

की सूरत में अबेटमेन्ट को सेट असाईड किया जावे तथा रैस्पोडेन्ट संख्या-3 के वारिसान को रेकार्ड पर किया जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-10 का नाम अपील से हजफ किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे कही दर्ज नही किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-3 व 10 की मृत्यु किस दिनाक व वर्ष मे हुई है । जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या-3 की मृत्यु की सूचना आदेशिका दिनाक 14-9-12 को आ चुकी अपीलान्ट ने यह प्रार्थ पत्र जानकारी के बाद भी 4 वर्ष 8 माह 17 दिन बाद लगभग 5 वर्ष बाद पेश किया जबकि अपीलान्ट को यह प्रार्थना पत्र 90 दिन के अन्दर अन्दर पेश करना चाहिये था 60 दिन के बाद 60 दिन के अन्दर अन्दर अबेटमेन्ट सेट असाईड का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था । इन्होने तो उक्त दोनो अवधि पार होने के बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।अपीलान्ट यह नहीं कह सकते कि मुझे जानकारी नहीं रही । अपीलान्ट की अपील सम्पूर्ण रूप से अबेट हो चुकी प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज कर अपील को अबेट होने पर खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । दिनांक 14-9-2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या-3 के नोटिस पर फौत होने की सूचना आई है कायम मुकाम की कार्यवाही की जावे । इसके बाद अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 1-6-2017 को पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दर्ज किया है कि प्रार्थी को अनावेदक संख्या-3 व 10 की मृत्यु की जानकारी पूर्व मे नहीं हुई नोटिस पर सूचना आने पर यह कायम मुकाम की कार्यवाही की गई है। अतः जानकारी से प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जावे ।

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	14-9-2012 में रेस्पोडेन्ट संख्या-3 की मृत्यु की सूचना दर्ज कर कायम मुकाम की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं । अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानकारी के भी 4 वर्ष 8 माह एवं 17 दिन बाद पेश किया है जिसमें अबेटमेन्ट सैट असाईड का समय भी निकल गया तथा अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं जिससे अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर कोई नरम रूख अपनाया जावे । अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानकारी होते हुये जानबुझकर विलम्ब से पेश किया है जिसे स्वीकार किया जाना उचित नहीं मानते हैं । अतः प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम एवं अबेटमेन्ट अपास्त का खारिज किया जाता है तथा अपील अबैट होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 22/6/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।	